

न्यायालय: प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिता राज, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या-2333/2020

रजिस्ट्रेशन संख्या-2333/2020

CNR.No.UPGZ020039172020

1. श्रीमती नीलम ढाका पत्नी डा. विवेक चौधरी, निवासी ए-४, फ्लैट नम्बर- 1402, आलिव काउन्ट्री, सैक्टर-५, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

२०५।

.....याची संख्या-1

एवं

1. डा. विवेक चौधरी पुत्र श्री सेवाराम, निवासी ए-४, फ्लैट नम्बर- 1402, आलिव काउन्ट्री, सैक्टर-५, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

.....याची संख्या-2

धारा- 13B हिन्दू विवाह अधिनियम 1955।

निर्णय

श्रीमती नीलम ढाका याची संख्या-1 व डा. विवेक चौधरी याची संख्या-2 द्वारा धारा-13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत उनके मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांकित-12.02.1995 को विच्छेदित किये जाने हेतु दिनांक-18.12.2020 को प्रस्तुत वाद संस्थित किया गया।

संक्षेप में याचिका के अनुसार पक्षकारों का विवाह दिनांक-12.02.1995 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त उभय पक्ष के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गये, जिस कारण उभय पक्ष नवम्बर 2018 से अलग रह रहे हैं तथा तब से उनके मध्य कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं। उभय पक्ष एक साथ बतोर पति-पत्नी रहने के लिए तैयार नहीं हैं। याचिका में उल्लिखित तथ्यों के तहत पक्षकार पारस्परिक आपसी समझौते को सहमत हुए हैं। उभय पक्ष आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कराना चाहते हैं। याचिका योजित करने में उभय पक्ष के मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। अतः पक्षकारों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि दिनांक-12.02.1995 को पक्षकारों के मध्य सम्पन्न हुए विवाह को विच्छेदित किया जाए।

आज उभय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर धारा-13 बी(2) हिन्दू विवाह अधिनियम का द्वितीय प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित आये। पक्षकारों की जोड़ करते हुए पृच्छा अंकित की गयी है। पक्षकारों ने एक दूसरे की रिनार्डत परते हुए बद्यान अंकित बराबर। याची संख्या-1 श्रीमती नीलम ढाका ने अपने बद्यान में कहा है कि उसकी शादी डा. विवेक चौधरी के साथ दिनांक-12.02.1995 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। उनकी अरेन्ज मैरिज थी। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम दक्ष चौधरी उम्र 25 वर्ष एवं छोटे बेटे का नाम ध्रुव चौधरी उम्र 18 वर्ष है। दोनों बेटे बालिंग हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं। आपस में वैचारिक मतभेद होने के कारण वह नवम्बर 2018 से अलग-अलग रह रहे हैं तथा उन दोनों के मध्य कोई शारीरिक सम्बन्ध रसायनिक नहीं हुए हैं। उनके गाध्य अन्य कोई वाद किरणी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। उनके तलाक का फैसला आपसी सहमति से बिना लेनदेन के तय हुआ है। वह राकारी नौकरी करती है। उसने अपने अंतिम भरण पोषण का परित्याग किया है। उनके कोई लेनदेन शेष नहीं हैं। वह स्वेच्छा



से बिना किसी दबाव व भय के तलाक की सहमति दे रही है। उसका तलाक कर दिया जाये, उसे कोई आपत्ति नहीं है।

इसी प्रकार याची संख्या-2 डा. विवेक चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि उसकी शादी श्रीमती नीलम ढाका के साथ दिनांक-12.02.1995 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। उनकी अरैन्ज मैरिज थी। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम दक्ष चौधरी उम्र 25 वर्ष एवं छोटे बेटे का नाम ध्रुव चौधरी उम्र 18 वर्ष है। दोनों बेटे बालिंग हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं। आपस में वैचारिक मतभेद होने के कारण वह नवम्बर 2018 से अलग-अलग रह रहे हैं तथा तब से उन दोनों के मध्य कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं। उनके मध्य अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उनका तलाक का फैसला आपसी सहमति से बिना लेनदेन के तय हुआ है। नीलम ढाका सरकारी नौकरी करती है। उसने अपने अंतिम भरण पोषण का परित्याग किया है। वह भी डाक्टर है। उनका कोई लेनदेन शेष नहीं है। वह स्वेच्छया से बिना किसी दबाव व भय के तलाक की सहमति दे रहा है। उसका तलाक कर दिया जाये, उसे कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि उनका विवाह दिनांक-12.02.1995 को हुआ था। आपसी सहमति से तलाक के प्रत्यावेदन पर उन्होंने जो कुछ लिखा है वह सही है। उभय पक्ष की ओर से यह भी स्वीकार किया है कि आपसी सहमति से तलाक का वाद योजित करने के लगभग एक वर्ष पूर्व से वह अलग-अलग रह रहे हैं और प्रथम मोसन डाले हुए 6 माह व्यतीत हो गये हैं। चूंकि पक्षकार अब एक साथ रहने की स्थिति में नहीं हैं और बिना किसी भय, दबाव या लालच के आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचना किये हैं। अतः इनकी प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष स्वीकृत रूप से एक वर्ष पूर्व से पृथक-पृथक रह रहे हैं। उनके मध्य इस दरम्यान पति-पत्नी के कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं तथा आपसी सुलह समझौते के साथ उभय पक्ष तलाक चाहते हैं। अतः धारा-13 बी(2) हिन्दू विवाह अधिनियम की उनकी याचना स्वीकार करके तलाक की डिक्री पारित किये जाने योग्य है।

आदेश

पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौते व सहमति के आधार पर धारा-13 बी(2) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की डिक्री पारित की जाती है। पक्षकारों के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांकित-12.02.1995 आज डिक्री के दिन से समाप्त किया जाता है।

अनिता राज

(अनिता राज)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

दिनांक-19.07.2021



अर्ज यह निर्णय हस्ताक्षरित एवं प्रतिलिपि कर्त्ता द्वारा खुले न्यायालय में उदघोषित किया

अनिता राज

(अनिता राज)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

दिनांक-19.07.2021

